

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

कौटिल्य नगर, पटना-14

संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक) के 20 रिक्त पदों पर नियोजन के लिये दिनांक-14.12.2023 से 18.12.2023 तक आयोजित अंतर्वीक्षा सह चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक) के 20 पद पर नियोजन के लिये समाचार पत्रों में दिनांक-29.03.2023 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। उपर्युक्त 20 पदों का विवरण निम्नवत है:-

- (i) अनुसूचित जाति के 5 पद में से 1 पद अनुसूचित जाति की महिला को अनुमान्य है।
- (ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के 3 पद में से 1 पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला को अनुमान्य है।
- (iii) पिछड़े वर्गों की महिला-1 पद
- (iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-2 पद
- (v) अनारक्षित 9 पद में से 4 पद अनारक्षित कोटि की महिला को अनुमान्य है।

नोट- इस नियोजन में चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को 1 पद क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अनुमान्य है।

2. समाचार पत्रों में प्रकाशित उपर्युक्त विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17.04.2023 तक कुल-2518 आवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच की scrutiny हेतु तत्कालीन मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्षता में 7 Scrutiny Committee का गठन किया गया। Scrutiny Committee समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि

- (1) उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक Category में रिक्ति के अधिकतम दस गुणा की संख्या में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय,
- (2) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों में अंकित विभिन्न ग्रेडिंग में एकरूपता बरतने के उद्देश्य से इसे प्रतिशत प्राप्तांक में निम्नवत् परिवर्तित किया जाय:-

(i) S.G.P.A.- (Semester Grade Point Average) - (A)
प्राप्तांक % = (A) x 10 - 7.5

(ii) C.G.P.A.- (Cumulative Grade Point Average) - (B)
प्राप्तांक % = (B) x 9.5

(iii) D.G.P.A.- (Degree Grade Point Average) - (C)
प्राप्तांक % = (C - .75) x 10

(iv) C.P.I.- (Cumulative Performance Index) - (D)
प्राप्तांक % = (D) x 10

- (3) चयन प्रक्रिया के लिए कुल अधिमानता 100 अंकों की होगी, जिसमें से 75 अंक शैक्षणिक योग्यता तथा 25 अंक अंतर्वीक्षा के लिए निम्नवत् कर्णांकित किया जाय:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Secondary	Intermediate or 10+2	B.E/B.Tech	Interview	Total
अधिकतम 10 अंक	अधिकतम 15 अंक	अधिकतम 50 अंक	अधिकतम 25 अंक	100

3. उपर्युक्त कंडिका-2(1) एवं 2(2) के निर्णय के आलोक में Scrutiny Committee द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को shortlist किया गया। Shortlisting के उपरान्त कुल-216 अभ्यर्थी अंतर्वीक्षा के योग्य पाये गये, जिसकी सूची, उपर्युक्त कंडिका-2(2) के निर्णय के आलोक में, अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंक तालिका के साथ, निगम के वेबसाइट पर दिनांक-24.11.2023 एवं दिनांक-13.12.2023 को अपलोड किया गया।

4. उपर्युक्त पद पर नियोजन के लिये अंतर्वीक्षा की तिथि की सूचना, ज्ञापांक-एच0क्यू0 4351 दिनांक-28.11.2023 तथा 13.12.2023 से निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी एवं सभी अभ्यर्थी को इसकी सूचना ई-मेल एवं दूरभाष पर भी दी गयी।

5. नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाये रखने के उद्देश्य से उपर्युक्त पदों पर नियोजन के लिये, ज्ञापांक-एच0क्यू0 3672 दिनांक- 30.09.2023 के द्वारा अंतर्वीक्षा समिति का गठन निम्नवत किया गया :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम | — | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम | — | सदस्य |
| 3. कार्यपालक अभियंता, पटना प्र0(श्री अनुराधा चन्द्र),
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम | — | सदस्य |
| 4. संरचना परामर्शी (श्री मुन्द्रिका साहु),
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम | — | सदस्य |
| 5. वास्तुविद,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम | — | सदस्य |
| 6. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा
मनोनीत तकनीकी पदाधिकारी(श्री नवल किशोर प्रसाद), | — | सदस्य |

अंतर्वीक्षा की तिथि की सूचना ज्ञापांक-एच0क्यू0 4348 दिनांक-28.11.2023 के द्वारा सदस्यों को दी गयी। अंतर्वीक्षा हेतु कुल-163 अभ्यर्थी उपस्थित हुये।

6. विज्ञापित उपर्युक्त पद, सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियोजन के लिये अंतर्वीक्षा समिति द्वारा वांछित कोटि के निम्नांकित अभ्यर्थियों की अनुशंसा उनके द्वारा अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर की गयी :-

- | | | |
|---------------|---|--|
| अनुसूचित जाति | — | 1. श्री संतोष कुमार
पिता-श्री चन्द्रिका राम |
| | | 2. श्री उत्कर्ष
पिता-श्री राजानंद प्रसाद |
| | | 3. श्री संजीव कुमार
पिता-श्री राजेन्द्र कुमार |
| | | 4. श्री आलोक रंजन
पिता-श्री अरुण कुमार |
| | | 5. सुश्री सुधा कुमारी
पिता-श्री महेश कुमार |

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	1. श्री चंदन कुमार पिता—श्री विजय कुमार
		2. श्री आदित्य कुमार (EBC-PWD) पिता—श्री अनिल गुप्ता
		3. सुश्री अंजु कुमारी पिता—श्री देव कुमार पंडित
पिछड़े वर्गों की महिला	—	1. सुश्री अभिलाषा राज पिता—श्री कृष्णजय कुमार
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	1. श्री अंकित कुमार पिता—श्री रतीश कुमार चौधरी
		2. श्री विश्वजीत पिता—श्री राणा प्रताप सिंह
अनारक्षित	—	1. श्री मोनु कुमार ठाकुर पिता—श्री गणेश प्रसाद ठाकुर
		2. श्री सुमित कुमार पिता—श्री प्रबोध कुमार सिंह
		3. श्री हिमांशु शेखर पिता—श्री राकेश प्रसाद सिंह
		4. श्री अश्वनी कुमार पिता—श्री हरिमोहन प्रसाद शर्मा
		5. सुश्री हनी सिंह पिता—श्री मनोज कुमार सिंह
		6. श्री शिवम पिता—श्री उमाकांत मिश्रा
		7. सुश्री आकांक्षा कुमारी पिता—श्री अमरेन्द्र कुमार
		8. सुश्री अर्चना कुमारी भगत पिता—श्री रणधीर कुमार भगत
		9. सुश्री कौशिकी रॉय पिता—श्री एस पी रॉय

उक्त नियोजन में दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को 1 पद क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अनुमान्य है, फलस्वरूप श्री आदित्य कुमार, पिता—श्री अनिल गुप्ता जो कि **PWD(Persons with Disabilities) Category** के हैं तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं को जाता है।

7. उपर्युक्त पदों पर नियोजन के लिये चयन की कार्यवाही दिनांक—18.12.2023 तक पूरी कर ली गयी थी, परन्तु LPA No.-1314 of 2023 (In CWJC No-10699 of 2023) , Sameer Sharma Vs SOB में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक—10.11.2023 को पारित आदेश के आलोक में result का प्रकाशन स्थगित रखा गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश निम्नवत है:—

The selection process shall go on but, however, it will be subject to the result of the appeal.

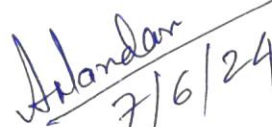
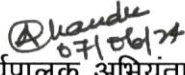
8. दिनांक-09.04.2024 को वाद की सुनवाई के उपरान्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त LPA को खारिज कर दिया गया, परन्तु लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के लिये लागू आदर्श आचार संहिता के कारण, आचार संहिता की अवधि की समाप्ति के उपरान्त result का प्रकाशन किया जा रहा है।

9. निगम के तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री सुनील कुमार सिन्हा, जो अंतर्वीक्षा समिति के सदस्य थे, की सेवा निगम मुख्यालय के पत्रांक-एच0क्यू0 770 दिनांक-04.03.2024 से उनके पैतृक विभाग, पथ निर्माण विभाग को वापस कर दी गयी है, इसलिये इस कार्यवाही पर उनका हस्ताक्षर नहीं है।

इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाय।



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 से
मनोनीत तकनीकी पदाधिकारी


7/6/24
वास्तुविद
7/6/24
संरचना परामर्शी
7/6/24

कार्यपालक अभियंता
पटना प्रमण्डल


7/6/24
पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक